

LABOUR (PARTICIPATION IN MANAGEMENT) BILL*

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for participation of employees in the management of industrial or commercial undertakings in which they work and for other matters incidental thereto.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for participation of employees in the management of industrial or commercial undertakings in which they work and for other matters incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI SRINIBAS MISRA : Sir, I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of articles 90, 92 etc.)

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI SRINIBAS MISRA : Sir, I introduce the Bill.

SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of section 6)

SHRI MANIBHAI J. PATEL (Damoh) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954.

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954."

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : सभापति महोदय, साधारण तौर पर किसी भी निजी सदस्य के विधेयक को पेश करने का जब सवाल आता है तो उसका विरोध नहीं किया जाना चाहिये और यह जो सिद्धान्त है इसको हमेशा इस सदन ने माना है। यह जो विधेयक है यह सदस्यों के भत्ते और तनख्वाह के बारे में है। सैलेरी एंड एलाउंसिस आफ मॅम्बर्ज आफ पार्लियामेंट के बारे में विधेयक है। यह एक छोटा सा बिल है। इस बिल के द्वारा यह मांग की गई है कि पहले दर्जे के डिब्बे में जगह नहीं मिलती है तो एयर कंडिश्ड कोच में सदस्य को जगह दी जाए। इस सुभाव का मैं सख्त विरोध करना चाहता हूँ।

आज इस तरह की सुविधा जिन लोगों को हासिल है, चाहे वे मंत्री हों, अफसर हो या रेलवे फंडेशन के कर्मचारी हों, उसका भी मैं घोर विरोध करना चाहता हूँ। इस तरह की सुविधा किसी को भी नहीं दी जानी चाहिये। अगर कोई एयर कंडिश्ड कोच में जाना चाहता है तो पैसा दे कर जा सकता है

श्री प० सा० बाळूपाल (गंगानगर) : थर्ड क्लास में चलो।

श्री मधु लिमये : इसको भी करिये। हमारे दल की तरफ से तो कई बार मांग की गई है कि बीस पच्चीस साल तक जब तक इस देश का निर्माण नहीं हो जाता है रेलों में, बसों में एक ही दर्जे की मुसाफिरी की इजाजत हो। इस बात को तो हमने बार बार कहा है। इस में मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब और सुविधायें अगर बढ़ाने की मांग आती है तो मैं उसका घोर विरोध करना चाहता हूँ।